फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

किशनलाल बनाम चेनकी आदि

किस्म मुकद्मा– 225 आरटीए **नम्बर 15/2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.20	अभिभाषक अपीलांट श्री दिनेश गहलोत उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। अभिभषाक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बगसेऊ के खेत खसरा नम्बर 275 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 559 रकबा 12.82 हेक्टर, खसरा नम्बर 639/274 रकबा 6.00 हेक्टर कुल रकबा 19.12 हेक्टर भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खाते की भूमि है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अपने अपने धारण की भूमि पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए समस्त भूमि पर एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करते हुए अपीलांट को उसक कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है तथा अपीलांट को प्राप्त सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त निषेधाज्ञा दिनांक 20–08–2019 में प्राप्त की गई थी। उसके पश्चात् से रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलांट् की तामील आज दिनांक तक नहीं करवाते हुए अनिश्चितकाल तक उक्त निषेधाज्ञा का लाभ प्राप्त करने की चेष्टा की गई है। जिसकी न्याय अनुमति प्रदान नहीं करता है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर बराबर का रिकाडेर्ड खातेदार है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकाडेर्ड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–08–2019 की पालना स्थगित फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्यि में अध्ययन किया गया। राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर	

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बगसेऊ के खेत खसरा नम्बर 275 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 559 रकबा 12.82 हेक्टर, खसरा नम्बर 639/274 रकबा 6.00 हेक्टर कुल रकबा 19.12 हेक्टर भूमि अपीलांट्स की व रेस्पेडेन्ट्स की संयुक्त खाते की भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा दिनांक 20–08–2019 अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करते हुए अपीलांट्स की तलबी में अनावश्कय रूप से प्रकरण को लम्बित रखा जा रहा है।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खाते की भूमि है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे सीपीसी के प्रावधनों के तहत एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाता। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् एकतरफा अस्थ्ज्ञाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त अपीलांट की तलबी से गुरेज करते हुए विधिविरूद्व तरीके से एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा का लाभ लिया जाता रहा है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अनिश्चितकाल तक उसके जाजय अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता सकता है। लिहाजा अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–08–2019 निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय एक माह की अवधि में पारित करें। अपीलांट को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामरतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.26 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: